(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1866–दो/2011 विरूध्द आदेश दिनांक 06–05–11 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 200/2007–08 अपील.

1– रामलखन पटेल तनय भगवत प्रसाद पटेल
2– शिवपति तनय भगवत प्रसाद पटेल
3– चन्द्रशेखर तनय भगवत प्रसाद पटेल
4 संतोष तनय शिवपति पटेल
5– संजय तनय चन्द्रशेखर पटेल
सभी निवासी ग्राम पलिया दुबान, तह0 मऊगंज,
जिला रीवा, म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

काशीप्रसाद तनय रामविशल उपाध्याय,
निवासी ग्राम पलिया दुबान, तह0 मऊगंज,
जिला रीवा, म0प्र0

—— अनावेदक

श्री एस0एन0 शुक्ला, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री टी0पी0 चतुर्वेदी, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 21.4 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 200/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 06–05–2011 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक काशीप्रसाद व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं0 186/2 रकबा 0.98 एकड़ के अंश रकबा 0.08 पर अनावेदकगण का जबरदस्ती किया गया कब्जा हटाकर कब्जा वापिस दिलाये जाने की मॉग की । नायब तहसीलदार ने दिनांक 13–07–02 को मौके पर स्थल निरीक्षण किया तथा भूमि की पैमाइश करायी। नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 18–7–02 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि से कब्जा हटाने के आदेश दिये।

3/ इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22–10–07 में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक व्दारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसके व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का कब सीमांकन कराया गया और सीमांकन के पश्चात आवेदकगण का अनाधिकृत कब्जा कब से और किस दिशा में है। अनावेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 5–5–92 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी जिस पर विचार कर अनुविभागीय अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि 186/2 का कोई उल्लेख नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील स्वीकार कर तहसील का आदेश निरस्त किया। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक व्दारा अपर आयुक्त के समक्ष व्दितीय अपील प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 06–05–11 व्दारा अपील इस आधार पर स्वीकार की गयी है कि आवेदकगण ने सीमांकन आदेश दिनांक 05–05–92 को चुनौती नहीं दी है तथा तहसील न्यायालय व्दारा दिनांक 13–7–02 को

मौका निरीक्षण किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अतिकामक है तो उसे संहिता की धारा 250 के तहत बेदखल किया जायेगा। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण की भूमि कमांक 185, 184 एवं 183 है। भूमि नम्बर 185 में आवेदकगण का 30 पुराना मकान बना है व बाड़ी लगी है। अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि 186 है, किन्तु उसने अपने स्वत्व की भूमि का कभी कोई सीमांकन नहीं कराया गया। अनावेदक ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदनपत्र में प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा किस दिनांक को किस प्रकार किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा करने के 2 वर्ष के भीतर आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर भी कब्जा वापिसी के आदेश दिये जा सकते हैं। उनका तर्क है कि आवेदकगण का मकान व बाड़ी लगाकर कब्जा उनके स्वत्व की भूमि 185 पर है और आवेदकगण व्दारा अनावेदक की भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक के अभिभाषक के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराकर ही धारा 250 का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है। नायब तहसीलदार व्दारा उभय पक्ष की उपस्थिति में दिनांक 13–7–02 को प्रश्नाधीन का पैमाइस करायी गयी जिसमें अनावेदक की भूमि का आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, इस कारण अवैध कब्जा हटाये जाने के आदेश देने में तहसील न्यायालय व्दारा कोई गलती नहीं की गयी जिसे अपर आयुक्त ने अपील में पुनर्स्थापित किया है। अनावेदक अभिभाषक व्दारा मेरे समक्ष नायब तहसीलदार

व्दारा 25–5–92 को किये गये सीमांकन पुष्टि आदेश, पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्ड बुक की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत कर निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

6/ तहसील न्यायालय में अनावेदक व्दारा संहिता की धारा 250 के आवेदनपत्र में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि 186/2 के अंश रकबा 0.08 एकड़ पर किस दिनांक को किस प्रकार आवेदकगण व्दारा अवैध कब्जा किया गया। नायब तहसीलदार व्दारा आवेदन का जबाव प्रस्तुत करने पर प्रकरण स्थल निरीक्षण हेतु नियत किया और दिनांक 13–07–02 को स्थल निरीक्षण करने के पश्चात आदेश दिनांक 18–7–02 पारित किया गया है। नायब तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित करने के पूर्व उभय पक्ष को साक्ष्य प्रति–साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। नायब तहसीलदार व्दारा दिनांक 13–7–02 को स्थल निरीक्षण करने के पश्चात आदेश पारित करने के पूर्व भी सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। संहिता की धारा 250(1)(बी) के अनुसार कब्जा किये जाने की तारीख से या उस तारीख से, जिसको कि ऐसे व्यक्ति का कब्जा अप्राधिकृत हो जाय, आवेदनपत्र दो वर्ष की समयावधि में प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है, किन्तु इस संबंध में नायब तहसीलदार ने अपने आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। अनावेदक व्दारा 25–5–92 को किये गये सीमांकन पुष्टि आदेश व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। सर्वप्रथम यह सीमांकन आवेदन रालखन तनय भगवत पटेल ने भूमि सर्वे नम्बर 183/1, 183/2,183/3, 193, 195 के लिये प्रस्तुत किया गया है और इसमें प्रश्नाधीन भूमि 186/2 का कोई उल्लेख नहीं है. दूसरे इस सीमांकन की पुष्टि 25–5–92 को की गयी है और अनावेदक काशीप्रसाद ने संहिता की धारा 250 का आवेदनपत्र दिनांक 17–7–2000 तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो नियत समयावधि 2 वर्ष बाद है। संहिता की

धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र दो वर्ष की समयावधि में प्रस्तुत किया जाना प्रावधानित है और इस संबंध में नायब तहसीलदार ने अपने आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, किन्तु विव्दान अपर आयुक्त व्दारा नायब तहसीलदार के आदेश को पुनर्स्थापित करते समय इस वैधानिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 06–05–11 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी आदेश दिनांक 22–10–07 इस संशोधन के साथ पुनर्स्थापित किया जाता है कि संहिता की धारा 250 के आवेदनपत्र पर तहसील न्यायालय उभय पक्ष को साक्ष्य प्रति–साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0